भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–28/2018–19

केस का प्रकार :–नामान्तरण अपील

आलोक कुमार पाण्डा, पिता–श्री मदन गोपाल पाण्डा .... अपीलकर्त्ता।

———बनाम———

अंचल अधिकारी, घाटशिला (झारखण्ड सरकार) .... विपक्षी।

क्रमांक/ तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गयी कारवाई
25.11.24	यह नामान्तरण अपील वाद के अपीलकर्त्ता श्री आलोक कुमार पाण्डा, पिता–श्री मदन गोपाल पाण्डा, ग्राम–बिक्रमपुर, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिहभूम के द्वारा अंचल अधिकारी, घाटशिला (झारखण्ड सरकार), जिला–पूर्वी सिंहभूम को पक्षकार बनाते हुए अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या–817/R27/2018-19 में दिनांक–21.11.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। वाद की सुनवाई हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला से निम्न न्यायालय अभिलेख (LCR) की की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–251, दिनांक–12.03.2019 के द्वारा निम्न न्यायालय अभिलेख (LCR) प्राप्त कराया गया। वाद की सुनवाई में उभय पक्ष लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है और न ही उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी की जा रही है। वादी एवं प्रतिवादियों को न्यायालय में उपस्थित हेतु नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद में अपीलकर्त्ता एवं प्रतिवादी का कोई अभिरूची नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वाद की कार्यवाही जारी रखना औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त बिना किसी निर्णय के वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 25.11.24 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला। (हस्ताक्षर) 25.11.24 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला।	

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2025.07.07 11:52:26 +05:30
Location: 192.168.1.33